



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

सी-20, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर भोपाल

दूरभाष-कार्यालय 0755-2674228, 0755-2524184, ई-मेल pccfcampa@mp.gov.in

क्रमांक / कैम्पा / ~~537~~ / ^{418-II} 261
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23-01.2024

आयुक्त,
जन सम्पर्क,
बाण गंगा रोड, न्यू मार्केट,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:-समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन बावत्।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि भेजे जा रहे संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 27 जनवरी 2024 से पूर्व राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेजी एवं हिन्दी के एक समाचार पत्र में एवं मध्यप्रदेश से प्रकाशित होने वाले तीन प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एक-एक बार ही प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-विज्ञप्ति।



(महेन्द्र सिंह धाकड़)

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23-01.2024

पृ0क्रमांक / कैम्पा / 537 / 262
प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति को मध्यप्रदेश वन विभाग की वेबसाईट पर भी देने का कष्ट करें।

संलग्न:-विज्ञप्ति।



प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण

(राज्य कैम्पा प्राधिकरण), सी-ब्लाक, द्वितीय तल, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल-462004
कार्यालय - दूरभाष: 0755-2674228, 0755-2524186, ई-मेल: pccfcampa@mp.gov.in

भोपाल दिनांक 23-1-24

क्रमांक/कैम्पा/2024/263

-: विज्ञप्ति :-

कार्यालय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा प्राधिकरण), वन भवन, तुलसी नगर, म0प्र0 भोपाल में कार्यालयीन कार्यों के संपादन हेतु कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। जिस हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली आऊटसोर्सिंग एजेंसी से निविदा प्रपत्र की शर्तों के अंतर्गत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं.	विवरण	
1	निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ऑनलाईन www.mptenders.gov.in के माध्यम से	1,000/-
2	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की प्रारंभ तिथि	27.01.2024
3	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	12.02.2024
4	निविदा के साथ जमा ई.एम.डी. की राशि-ऑनलाईन www.mptenders.gov.in के माध्यम से	25,000/-
5	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि	13.02.2024

1. निविदा मात्र ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी। ऑनलाईन निविदा म0प्र0 शासन के एम.पी.ई.प्रोक्थोरमेंट की साईट <http://mptenders.gov.in> से प्रस्तुत किया जावेगा।
2. म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) में अंकित समस्त नियम शर्त अनिवार्यतः मान्य होंगी।
3. निविदा के साथ संलग्न सभी आवश्यक चाहे गये दस्तावेज की सूची तैयार कर पृष्ठ क्रमांक लेख कर सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
(राज्य कैम्पा प्राधिकरण), म0प्र0 भोपाल

कार्यालय - दूरभाष: 0755-2674228, 0755-2673906, ई-मेल: pccfcampa@mp.gov.in

क्रमांक/कैम्पा/2024/ 264

भोपाल दिनांक 23-1-24

निविदा प्रपत्र

कार्यालय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा प्राधिकरण), वन भवन, तुलसी नगर, म0प्र0 भोपाल में कार्यालयीन कार्यों के संपादन हेतु कुशल कर्मियों की निम्नानुसार आवश्यकता है। जिस हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली आऊटसोर्सिंग एजेंसी से निविदा प्रपत्र की शर्तों के अंतर्गत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	कार्य विवरण	कार्मिक श्रेणी	अनुमानित संख्या	न्यूनतम अर्हतायें एवं योग्यतायें
1	2	3	4	5
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह रिपोर्ट राइटर (अंग्रेजी)	-	01	मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईंस जर्नलिस्म या अन्य समकक्ष विषय में स्नातक एवं संबंधित कार्य का किसी संस्था में अंग्रेजी विषय में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव, कम्प्यूटर संबंधित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, इंटरनेट आदि का पर्याप्त अनुभव
2.	वाहन चालक	कुशल	03	आठवीं पास एवं वैद्य ड्रायविंग लाईसेंस तथा न्यूनतम 03 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव
3.	भृत्य	कुशल	03	12 वीं उत्तीर्ण
4.	आवक जावक एवं अन्य कार्य	कुशल	02	12 वीं उत्तीर्ण
कुल योग			09	


(महेन्द्र सिंह धाकड़)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता -

1.

- 1.1 निविदाकर्ता का ESIC एवं EPF का पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 1.2 एजेंसी का स्थापना पंजीकरण एवं जी.एस.टी. का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- 1.3 मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले निविदाकर्ता को मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कार्यालय में मानव संसाधन प्रदाय करने का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये, जिसकी प्रमाणिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 1.4 विगत 03 वर्षों का आई.टी.आर. की कॉपी जिसमें वार्षिक टर्न ओवर सीए द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है एवं विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर (वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) कुल 50 लाख से अधिक का हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र के अभाव में निविदा अमान्य की जावेगी। दर्शाया गया टर्न ओवर की राशि केवल मानव संसाधन के व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिये। अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय इस निविदा के लिये मान्य नहीं की जावेगी।
- 1.5 निविदाकर्ता किसी भी (शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड) किया गया हो, उसे अपात्र समझा जावेगा। इस आशय का प्रमाणीकरण फर्म के लेटरहेड पर संलग्न प्रपत्र-4 पर देना अनिवार्य होगा।
- 1.6 एजेंसी द्वारा प्रदाय किये जाने वाले ऑपरेटर की अंग्रेजी टायपिंग 30 शब्द प्रति मिनिट न्यूनतम हो, कम्प्यूटर ऑपरेटर को वर्ड, पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन, एक्सल, ई-मेल, गूगलशीट, इंटरनेट आदि का कार्य अनुभव हो, साथ ही अंग्रेजी रिपोर्ट बनाने का अनुभव हो। इसका प्रमाणीकरण ऑपरेटर के नाम सहित टेंडर डॉक्यूमेंट में लगाना अनिवार्य होगा।
- 1.7 एजेंसी द्वारा प्रदाय किये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटरों को शासन की विभिन्न वेबसाइट्स/पोर्टल, आर.सी.एम.एस., एमपीई डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाईन आदि का अनुभव होना चाहिये।
- 1.8 एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों को शासन/श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुरूप वेतन दिया जाना आवश्यक होगा।
- 1.9 निविदाकर्ता एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी अधिनियम में पंजीकृत कंपनी हो सकता है।
- 1.10 उक्त ई-टेंडर प्रक्रिया में चयनित आउटसोर्स मानव संसाधन प्रदाता एजेंसी के साथ 11 माह के लिए अनुबंध किया जावेगा, कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद होने की स्थिति में एक बार ओर 11 माह के लिए फर्म की अवधि को बढ़ाया जा सकेगा।
- 1.11 चयनित एजेंसी द्वारा भेजे जाने वाले कर्मचारियों का इस कार्यालय द्वारा (कम्प्यूटर संचालन, शासकीय कार्यालयीन व्यवहारिक ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण आदि) का साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार में पास होने वाले कर्मचारी को कार्य पर लिया जावेगा।

- 1.12 प्रदाय किये जाने वाले कर्मियों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा की जा सकेगी एवं आवश्यकता न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- 1.13 केवल वही एजेंसी निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगी जिनका कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश में स्थित होगा। इस हेतु कार्यालय का स्थापना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा का मूल्यांकन

- 2.1 निविदा का मूल्यांकन Cost based होगा। जिसमें संलग्न तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी निविदा में पात्र पाये जाने वाली संस्था के ही वित्तीय निविदा का मूल्यांकन किया जावेगा।
- 2.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा गठित मूल्यांकन समिति प्रस्तुत अभिलेख/अर्हताओं की जांच आवश्यकता पड़ने पर निविदा खोलने के उपरांत सफल निविदा जमा कर्ता को अनुबंध हेतु आमंत्रित करने के पूर्व कर सकेगी।
- 2.3 प्रति मानव दिवस हेतु सेवा शुल्क की राशि अंकित करने वाले निविदा को न्यूनतम से अधिकतम के क्रम में अंकित किया जायेगा। न्यूनतम राशि अंकित करने वाले निविदा को सफल निविदा माना जायेगा एवं आवश्यक जांच उपरांत उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) के साथ अनुबंध करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। सफल निविदा जमा कर्ता यदि अवसर देने के 07 दिवस के अंदर अनुबंध नहीं करता है तो दूसरे क्रम में अंकित सफल निविदा जमा कर्ता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- 2.4 दरें समान होने पर शासकीय कार्यालयों में कार्य अनुभव एवं टर्नओवर के आधार पर एजेंसी का चयन किया जावेगा।
- 2.5 निविदा में एजेंसी को श्रमिकों को उपलब्ध कराने की प्रति मानव दिवस प्रति माह हेतु दरें ऑनलाईन BOQ में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.6 एक प्रतिशत से कम सेवा शुल्क निविदा में प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य की जावेगी।
- 2.7 सफल निविदा जमा कर्ता को उसकी निविदा मान्य किये जाने के आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में कैम्पा कार्यालय के साथ अनुबंध करते हुये 15 दिवस की समय सीमा में श्रमिक उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद द्वितीय न्यूनतम दरें देने वाले निविदा जमा कर्ता को कार्य करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। निविदा की शर्तें अनुबंध के अभिन्न अंग होंगे।
- 2.8 एजेंसी द्वारा प्रदाय किये गये श्रमिकों (मानव संसाधन) को श्रमायुक्त/शासन/कलेक्टर भोपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दर से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी दर अनुसार संस्था अपना देयक प्रतिमाह संघ में प्रस्तुत करेगी। श्रमिकों को भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाताओं में जमा किये जायेगे।
- 2.9 सफल निविदा जमा कर्ता श्रमिकों के संबंध में समस्त प्रभावशील श्रम नियमों का पालन करेगी एवं समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार

- होगी। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों का संधारण एजेंसी को अनिवार्यतः करना होगा एवं कैम्पा कार्यालय द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.10 कैम्पा के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।
- 2.11 कैम्पा कार्यालय की आवश्यकता एवं निर्देश/अनुबंध के अनुसार कार्य सम्पन्न नहीं करने पर एजेंसी की जिम्मेदारी एवं लागत पर अन्य व्यवस्था/एजेंसी से कार्य करवाने हेतु कैम्पा कार्यालय स्वतंत्र होगी एवं ऐसे कार्यों का समस्त व्यय निविदा जमा कर्ता एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
- 2.10 कार्य पर रखे गये अपने समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये सभी वैधानिक उपाय निविदा जमा कर्ता एजेंसी द्वारा ही सुनिश्चित किये जायेंगे। कैम्पा कार्यालय की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 2.11 सफल निविदा जमा कर्ता एजेंसी को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. (Employees State Insurance Corporation) विभाग से नियमानुसार सावधिक निरीक्षक करवाना होगा एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन कैम्पा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.12 कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था उनको स्वयं करनी होगी। न तो कैम्पा द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न ही इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
- 2.13 यदि कोई एजेन्सी ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी (Employees State Insurance Corporation) सर्विस टैक्स या श्रम कानूनों के अंतर्गत डिफाल्टर साबित होती है, या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करती है, तो अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा भोपाल को होगा।
- 2.14 कोई श्रमिक किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है या उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तथा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है, तो कैम्पा कार्यालय भोपाल को अधिकार रहेगा की ऐसे कर्मियों को तत्काल परिसर से हटा सके, संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सके एवं एजेंसी को उक्त श्रमिक को तत्काल हटाकर इसके स्थान पर अन्य श्रमिकों को तैनात करना होगा।
- 2.15 एजेंसी को समस्त श्रमिकों के परिचय पत्र, पता, टेलीफोन नम्बर तथा पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र कैम्पा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.16 कार्य में तैनात किये गये श्रमिक की बदली मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, कार्यालय भोपाल की अनुमति के बिना नहीं की जा सकगी। अन्य श्रमिक लगाने के पूर्व उससे संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, भोपाल से अनुमति ली जाना आवश्यक होगी।
- 2.17 कैम्पा, के द्वारा श्रमिकों की ड्यूटी आवश्यकतानुसार उचित प्रयोजनो हेतु लगाई जा सकेगी।
- 2.18 निविदा शर्तों को ही अनुबंध माना जावेगा।

3. भुगतान प्रक्रिया:-

- 3.1 एजेन्सी अपने कर्मचारियों को कोई भी नगद भुगतान नहीं करेगी। समस्त भुगतान बैंक एकाउण्ट के माध्यम से संबंधित कर्मचारी के खाते में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.2 दरें: वाहन चालक (कुशल) एवं भृत्य तथा अन्य हेतु (कुशल) श्रमिकों हेतु बेसिक दरें शासन/श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित होगी तथा समय-समय पर श्रमायुक्त/शासन द्वारा अनुबंध की अवधि में पुनरीक्षित होने की दशा में पुनरीक्षित दरें भुगतान योग्य होगी। ये दरें श्रमायुक्त/कलेक्टर द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुरूप एवं न्यूनतम वेतन से कम नहीं होंगे।
- 3.3 प्रतिमाह की 5 तारीख तक संस्था को अपने कर्मचारियों का मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 3.4 एजेन्सी को अपने समस्त कर्मचारियों को मासिक मजदूरी/अन्य दायित्व, समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत एजेन्सी के द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की 10 तारीख तक कैम्पा भोपाल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कैम्पा कार्यालय भोपाल में एजेन्सी लगाये गये कुल श्रमिकों की सूची, उनकी उपस्थिति पंजी की छायाप्रति, श्रमिकों को किया गया भुगतान, समस्त कटौत्रा जैसा ई.पी.एफ., ई.एस0आई.(Employees State Insurance Corpotation) आदि का पृथक-पृथक पत्रक संलग्न किया जायेगा। इसमें संस्था के अन्य कार्यस्थलों पर संलग्न कर्मचारियों का कोई विवरण मान्य नहीं किया जायेगा। प्रतिमाह संस्था अपने प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी/भुगतान का एब्सट्रेक्ट (प्रपत्र-5) में कैम्पा कार्यालय भोपाल को देयक के साथ प्रस्तुत करेगी। इन अभिलेखों के अभाव में एजेन्सी को भुगतान की पात्रता नहीं होगी। यदि एजेन्सी शासन के नियमानुसार पूरी जानकारी/वैधानिक कटौत्रा प्रति कर्मचारीवार जमा नहीं करती है तो इस हेतु उसकी नियमानुसार सम्पूर्ण वैधानिक जिम्मेवारी एजेन्सी की ही होगी। इसके अतिरिक्त एजेन्सी को अनुबंध कैम्पा कार्यालय भोपाल द्वारा सहपत्र भी दिया जा सकता है।
- 3.5 निविदाकर संस्था प्रतिमाह कर्मचारियों के लिये जमा किया गया कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.सी.) अंशदान का विवरण, जमा किये गये फार्म की प्रति एवं चालान की सत्यापित प्रति संलग्न करेगी।
- 3.6 एजेन्सी प्रतिमाह कर्मचारियों के जमा किये गये ई.पी.एफ. अंशदान के चालान की प्रति संलग्न करेगी।
- 3.7 एजेन्सी प्रतिमाह सर्विस टैक्स जमा करने संबंधी विवरण की प्रति संलग्न करेगी।
- 3.8 श्रम कल्याण मण्डल का भुगतान संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 3.9 एजेन्सी को प्रतिमाह, यह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि वे सभी श्रम कानूनों/नियमों एवं सभी मजदूरी संबंधी नियम सुरक्षा एजेन्सी को निम्नानुसार प्रचलित अधिनियमों का पालन कर रहा है:-

- A. Minimum wages Act 1948.
- B. Contributory P.F. and Miscellaneous Provision Act 1952.
- C. Factories Act and M.P. Rules 1948.
- D. Contract labour (Regulation and Abolition Policies) 1970.
- E. Payment wages Act 1936.
- F. Workman Compensation Act 1923 And any other Rules.
- G. Provision of Service Tax.

4. निविदा की वैधता:-

निविदा की वैधता, निविदा खुलने से 60 दिन तक रहेगी।

5. अनुबंध निष्पादन प्रतिभूति (Performance gaurantee)

संविदा का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदाकर्ता से आवश्यकतानुसार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की जा सकेगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि सामान्यतः संविदा के मूल्य का 03 प्रतिशत होगी। निष्पादन प्रतिभूति की राशि नगद या किसी भी वाणिज्यक बैंक के डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद, बैंकर्स चैक एवं irrevocable बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकेगी। प्रस्तुत बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा। निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा प्रतिभूति लौटाई/समायोजित की जाएगी।

6. समस्याओं का निराकरण :-

यदि कैम्पा भोपाल कार्यालय एवं एजेंसी के मध्य अनुबंध के अंतर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) भोपाल कार्यालय द्वारा दिया गया निर्णय एजेंसी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

एजेंसी को कैम्पा भोपाल कार्यालय में कार्य करने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसके समाधान के लिए उप वन संरक्षक, कैम्पा भोपाल से निर्देश प्राप्त करते हुये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रपत्र-1
घोषणा पत्र

(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं.....आत्मज.....मानव
संसाधन व्यवस्था के लिए कैम्पा भोपाल में निविदा जमा कर्ता हूँ। मैं यह घोषित करता
हूँ कि हमारी एजेंसी द्वारा यदि कैम्पा भोपाल में कार्य किया जाएगा तो हमारी एजेंसी
द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप
सुविधाएं अपने श्रमिकों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के
कानून/नियम/विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी एजेंसी ही उसके लिए
जिम्मेदार होगी।

दिनांक

स्थान

निविदा जमा कर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

प्रपत्र-2
कर्मचारियों की जानकारी

क्रं.	कर्मचारी का नाम एवं पिता का नाम	प्रस्तावित पदनाम एवं प्रकार (कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)	पहचान पत्र क्रमांक आधार कार्ड/बोटर आईडी आदि	मोबाईल नं.	शैक्षणिक योग्यता	भविष्य निधि क्रमांक	ईएसआई क्रमांक	बैंक का नाम/ब्रांच का नाम/बैंक खाता क्रमांक

नोट:- कर्मचारियों की सूची अनुसार अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।

दिनांक

स्थान

निविदा जमा कर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदमुद्रा.....

प्रपत्र-3
निविदा जमा कर्ता के कार्यानुभव का विवरण प्रपत्र-

क्रं.	प्रतिष्ठित एजेंसी का नाम, पूरा पता दूरभाष नं., फैक्स नं. (जहाँ निविदाकार ने कार्य किया हो)	अनुबंध में श्रमिकों की संख्या	अनुबंध के अंतर्गत वर्ष में प्राप्त कुल भुगतान	अनुबंध की अवधि		
				दिनांक से	दिनांक तक	कुल अनुभव अवधि
				dd/mm/yy	dd/mm/yy	dd/mm/yy
1	2	3	4	5	6	7

- नोट:-** 1. अतिरिक्त जानकारी हेतु अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।
2. सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

दिनांक

स्थान

निविदा जमा कर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....
पदमुद्रा.....

प्रपत्र-4

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु 100/- के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं.....पुत्र/पुत्री.....उम्र.....पता.....
..... शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि:-
1. मैं निविदा जमा कर्ता एजेंसी.....(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम)
कास्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ
यह एजेंसी वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है जिसका पंजीकृत कार्यालय का पता..
.....है।

2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।

3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे/मेरी एजेंसी के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियाँ पंजीकरण तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं।

4. मेरे/मेरी एजेंसी द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियाँ पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक हैं किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा।

5. मेरे एजेंसी को पूर्व में किसी भी संस्था/कार्यालय के द्वारा उचित सेवा प्रदाय न देने के कारण काली सूची में नहीं घोषित किया गया है, न ही समय से पूर्व ठेका निरस्त किया गया है।

शपथगृहीता

स्थान.....
दिनांक

नाम.....
पता.....

सत्यापन

मैं निविदा जमा कर्ता(फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम).....
.....एक स्वामी/साझेदारी/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रामाणिक है।

शपथगृहीता

स्थान.....
दिनांक

नाम.....
पता.....

1. गवाह नाम पता.....
2. गवाह का पता.....

प्रपत्र-5

कैम्पा कार्यालय, भोपाल के विभिन्न कार्यालयीन कार्यों, लेखा आदि के संबंध में मानव संसाधन व्यवस्था हेतु निविदा के सफल निविदा जमा कर्ता द्वारा मासिक देयक के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक भुगतान का प्रारूप

S.no	Name skilled/ scheme skilled/ Non skilled	Fathers Name	ID No. (Adhar /Voter/ Others	Name of Bank/ Branch /Bank A/c No.	EP F No.	ESI C No.	Total Days of the Month	Working Days in the month of the Employee as per attenden ce Sheet	Gross Earin g (Rs.)	Basic + DA Daily Monthl y wages rates (RS).	Employer Contr.		Employee Contr.		Net Payabl e (Rs.)	Signatu re of the employ ee
											ESI (RS).	EPF(RS).	ESI (RS).	EP F(R S).		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट:- संबंधित एजेंसी को सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन पर्ची जारी करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
राज्य प्राधिकरण, मध्यप्रदेश,
भोपाल

क्रं.	विवरण	प्रमाण पत्र क्रमांक	रिमार्क
1	निविदाकर्ता का नाम		
2	अधिकृत व्यक्ति का नाम		
3	पता एवं फोन नंबर		
4	ई-मेल आई.डी.		
5	स्थापना वर्ष		
6	फर्म की स्थिति (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/एकल स्वामित्व)		
7	निदेशक/साझेदार/स्वामी का नाम		
8	कंपनी/फर्म का स्थापना पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)		
9	जी.एस.टी. क्रमांक एवं जारी दिनांक जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें।		
10	पैन कार्ड नंबर (प्रोपराइटर/फर्म) एवं प्रति संलग्न करें, अंतिम इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करें।		
11	ई.एस.आई.सी. प्रमाण पत्र		
12	ई.पी.एफ. प्रमाण पत्र		
13	कार्यानुभव प्रमाण पत्र		
14	टर्न ओवर प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित) (विगत 03 वित्तीय वर्षों की 2020-21, 2021-22, 2022-23)		
15	निविदा शुल्क के रसीद ऑनलाईन क्रमांक.....एवं दिनांकबैंक का नाम.....		
16	तकनीकी व वित्तीय योग्यता के संबंध में		
17	निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति		
18	अन्य जानकारी		

घोषणा

1. मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम-शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियमानुसार मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा योग्य एजेंसी के चयन के संबंध में लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य होगा तथा मैं/हम इसे मानने के लिये पूर्णतः बाध्य हूँ।
3. मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।
4. मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य अथवा संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान

दिनांक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

वित्तीय निविदा प्रपत्र (ऑन-लाईन BOQ में)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
राज्य प्राधिकरण, मध्यप्रदेश,
भोपाल

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम
2. मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित दर

क्रमांक	कार्य विवरण	श्रेणी	निर्धारित दर रुपये में प्रति श्रमिक प्रति माह
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर सह रिपोर्ट राइटर	अतिकुशल	
2	वाहन चालक	कुशल	
3	भृत्य	कुशल	
4	आवक जावक एवं अन्य कार्य	कुशल	
5	सेवा शुल्क (प्रतिशत)	—	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील